प्रेषक,

अक्षय त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 11 जनवरी, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में Special Assistance To States for Capital Investment 2022-2023-(Part-V) आप्टिकल फाइबर नेटवर्क से संबंधित पूंजीगत परियोजनाएं, हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली के पत्र संख्या-44(1)/PF-S/ CAPEX)-Part-V/2022-23-SACE-14, दिनांक 18-11-2022 द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के अनुक्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में पूंजीगत लेखाशीर्षक ''4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 02-इलेक्ट्रानिक,800-अन्य निवेश, 0302-आप्टिकल फाइबर नेटवर्क से संबंधित पूंजीगत परियोजनाएं, 24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि 300.00 करोड (रूपये तीन सौ करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने तथा प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा आहरित कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75, दिनांक 26-06-1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(6) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त पी0एल0ए0/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नही रखा जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020, 11-04-2020, 18-05-2020 एवं 07-06-2022 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(9) प्रशासकीय विभाग/यूपी इले0 कारपोरेशन लि0 द्वारा धनराशि से संबंधित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) यूपी इले0 कारपोरेशन लि0 द्वारा उक्त धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय करने के उपरान्त इसकी सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाये, ताकि वित्त विभाग द्वारा इसकी सूचना भारत सरकार को उपलब्ध करायी जा सके।

(11)) यूपी इले0 कारपोरेशन लि0 द्वारा उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जायगा तथा इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

(12) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-44(1)/PF-S/2022-23(CAPEX), दिनांक 06-04-2022 एवं पत्र संख्या-44(1)/PF-S/ CAPEX)-Part-V/2022-23-SACE-14, दिनांक 18-11-2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,00,000 (रुपये तीन अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 4859028000302 आप्टिकल फाइबर नेटवर्क से सम्बंधित पूंजीगत परियोजनाएं मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6- 112-X-2022-23, दिनांक- 27-12-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अक्षय त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या- 3/2023/1927(1)/001-78-01099-321-2022तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4- सहायक निदेशक, (पी0एफ0-एस) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18-11-2022 के संदर्भ में।
5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
8- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार, ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/ औद्योगिक विकास अनु0-2
13- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अक्षय त्रिपाठी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।